



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या- 577/2021

इस कार्यालय के भर्ती अनुभाग के टिपण्णी संख्या-Ka/227/Appt/RRB/Panel/Tech III/Mech/SEE/2020, दिनांक-27.08.2021 के आलोक में RRB/Ranchi द्वारा चयनित निम्नलिखित Tech.Gr.III/Diesel Electrical (Mech) (Demu/Memu Shed) (लेवल-02) को; प्रशिक्षण की प्रारंभिक तिथि-25.02.2021 से 24.08.2021 तक 06 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक-KA/227/Appt./RRB/Panl/Tech-III/Mech./SEE/2020,दिनांक-14.09.2020 के विरुद्ध महाप्रबंधक(का)/हाजीपुर के पत्रांक-ECR-HQOPERS(RECT)/720/2020दिनांक-25.09.2020 के द्वारा प्राप्त आदेशानुसार; Tech.Gr.III/ C&W(Demu/Memu Shed) (लेवल-02) में प्रतिमाह देय वेतन रु19900/- एवं अन्य मान्य भत्ता के साथ Demu Shed/ Sonpur में पदस्थापित किया जाता है :-


क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम / समुदाय	जन्म तिथि	पदस्थापित स्टेशन	फोटो	हस्ताक्षर का नमूना / अंगूठा का निशान
01	श्री मुन्ना कुमार , (पिता -पारस महतो) (OBC)	12.12.1992	Demu Shed /SEE		 01/09/2021 

उपरोक्त अभ्यर्थी ग्रुप-सी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू रेल अधिनियमों से शासित होंगे। इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से मानी जायेगी। इन्हें रेलवे प्रादेशिक सेना इकाई में सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना इनके द्वारा दिए गये अभिलेखों के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जाँच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा। यदि जाँच रिपोर्ट प्रतिकूल पायी गयी, तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिए समाप्त कर दी जायेगी।

नियुक्ति के पश्चात् कम से कम पांच वर्षों तक रेल सेवा करना अनिवार्य होगा यदि पांच वर्षों से सेवा कम करने में असमर्थ या रेल सेवा से हटना चाहते हो तो प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा किये गए खर्च एवं दिए गए वृत्तिका प्रशासन को लौटाना होगा। ये दिनांक-27.08.2021 से इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि तक आदेश हेतु प्रतीक्षारत रहे हैं जिसे प्रशिक्षण अवधि का विस्तार मानते हुए वृत्तिका देय होगी। इस दौरान दिनांक-30.08.21 व 31.08.21 को ये दो दिनों के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (CL) पर रहे हैं। दिनांक 01.07.2021 से देय वेतन वृद्धि का लाभ इनके स्थायी योगदान तिथि से प्रभावी होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद् के पत्र संख्या-एन /ई/III/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।

पदस्थापना आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।


(बिजय इंजीनियर)
सकाधि-III

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर

दिनांक -01.09.2021

पत्रांक:-का०/227/याँ/आर.आर.बी/ टेकाIII/डेमू शेड/सोन

प्रतिलिपि - सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वमयाँई/समाडी, वमविप्र/सोनपुर, 02. Sr.CDO/TS/Demu Shed/SEE,
03. मुकार्याधी-बिल/सोनपुर, 04. सम्बंधित कर्मचारी,
05. मंडल मंत्री /ईसीआरकेयू,ओबीसी,अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर